सिलसिला मत्बूआत: 4

# शबे बरात कैसे मनाएँ?

लेखक

हाफ़िज़ शकील अहमद मेरठी

सेक्रेट्री

पी. आर. एस. एफ़. (ट्रस्ट)

**Presented By:**

**Peace Research & Studies Foundation**

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم

# शबे बारात कैसे मनाऐं?

نَحۡمَدُهٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِهِ الۡکَرِيۡمِ ـــــ أَمَّابَعۡدُ !

इस्लामी सन् हिजरी में बारा महीने होते हैं, शाबान इस्लामी साल का आठवाँ महीना है, यह हुर्मत वाले महीने रजबुल मुरज्जब के बाद और अज़्मत व बरकत वाले महीने रमज़ान से पहले आता है, माहे शाबान के मख़्सूस नफ़्ली आमाल के बारे में रसूलुल्लाह ﷺ का जो उसव-ए-हसना (बेहतरीन अमल) किताब व सुन्नत और आसार सहाबा رضی اللہ عنہ में मिलता है वह पेशे ख़िदमत है।

## माहे शाबान में कसरत से नफ़्ली रोज़े

रसूलुल्लाह ﷺ शाबान में किसी दिन को मुक़र्रर किए बग़ैर कसरत से रोज़े रखते थे जैसा कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आईशा सिद्दीक़ा رضی اللہ عنہا का बयान है फ़रमाती हैं: (बुख़ारी : 1833)

﴿مَارَأَيۡتُ رَسُوۡلَ اللّٰهِ اسۡتَکۡمَلَ صِيَامَ شَهۡرٍ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيۡتُهٗ فِيۡ شَهۡرٍ أَکۡثَرَ مِنۡهُ صِيَامًا فِيۡ شَعۡبَانَ﴾

"मैंने आप ﷺ को किसी भी माह के मुकम्मल रोज़े रखते नहीं देखा सिवाए रमज़ान के और मैंने आप ﷺ को शाबान से ज़्यादा किसी माह में (नफ़्ली) रोज़े रखते नहीं देखा।"

[ تخريج: بخاري، كتاب الصوم، باب صوم شعبان(١٨٣٣)، مسلم، كتاب الصيام، باب صيام النبي ﷺ في غير رمضان(١٩٥٦)]

रसूलुल्लाह ﷺ शाबान में कसरत से नफ़्ली रोज़े रखते थे इसमें क्या हिकमत थी। इसकी वज़ाहत हज़रत उसामा बिन ज़ैद رضي الله عنه की सही हदीस से होती है फ़रमाते हैं "मैंने नबी करीम ﷺ से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल ﷺ मैंने आपको माहे शाबान में जितने नफ़्ली रोज़े रखते देखा दूसरे महीने में नहीं देखा" तो नबी करीम ﷺ ने इरशाद फ़रमाया "यह ऐसा महीना है जो रजब और रमज़ान के दर्मियान में है लोग इससे ग़ाफ़िल हैं और यह वह महीना है कि जिसमें लोगों के आमाल रब्बुल आलमीन की तरफ़ उठाए जाते हैं। बस मैं चाहता हूँ कि मेरा अमल ऐसी हालत में उठाया जाए कि मैं रोज़े की हालत में हूँ। (मुसनद अहमद : 21801 - हसन)

[تخريج:سنن نسائي، كتاب الصيام، باب صوم النبي ﷺ (٢٣١٧)، مسند أحمد ج٥/ص:٢٠١(٢١٨٠١)،(قال الشيخ الألباني وشعيب الأرنؤوط: حسن)]

ऊपर बयान की गई बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस से मालूम होता है कि नबी करीम ﷺ माहे शाबान में बग़ैर कोई दिन मुक़र्रर किए कसरत से रोज़े रखते थे, अबू दावूद और नसाई की हदीस से मालूम हुआ कि माहे शाबान में कसरत से रोज़े रखने की हिकमत यह थी कि अल्लाह के दरबार में आमाल इस हाल में पहुंचें कि मैं (रसूल्लु ﷺ) रोज़े की हालत में हूँ।

एक हदीस अबू दावूद, तिर्मिज़ी और मसनद अहमद में है। इसमें इरशाद नबवी ﷺ है ﴿إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى يَكُونَ رَمَضَانُ﴾

यानी जब निस्फ़ शाबान हो जाए तो रोज़े न रखो, यहाँ तक कि रमज़ान आ जाए।" (अबू दावूद : 1990 -

सही)

[تـخـريـج:سـنـن أبـي داؤد،كتـاب الـصـوم،باب في كراهية ذلك(١٩٩٠)،جامع ترمذي،كتاب الصوم(٦٦٩)،مسندأحمد(٩٣٣٠)،(قال الشيخ الألباني : صحيح)]

इस हदीस में नबी करीम ﷺ ने उम्मत को निस्फ़ (आधा) शाबान के बाद रोज़े रखने से रोक दिया है ताकि उनकी कुव्वत व तवानाई रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों के लिए बरक़रार रहे, नबी करीम ﷺ को चूंकि रूहानी कुव्वत सबसे ज़्यादा हासिल थी, इस वजह से आप ﷺ के लिए मुसलसल रोज़े रखना कमज़ोरी का बाइस नहीं होता था, लेकिन उम्मत को सौम विसाल यानी बग़ैर इफ़तार किए रोज़े रखने से मना फ़रमाया।

मशहूर मुहद्दिस हाफ़िज़ इब्ने हजर असक़लानी رحمة الله عليه फ़रमाते हैं।

''कसरत सयाम की फ़ज़ीलत या नबी करीम ﷺ की कसरत से रोज़े रखने की सुन्नत और आधे शाबान के बाद रोज़ों की मुमानिअ़त में कोई तआरुज़ व तज़ाद नहीं। और उन दोनों बातों में मुताबिक़त यूँ मुमकिन है कि मुमानिअत इन लोगों के लिए है जो अमूमन साल भर के दौरान रोज़े रखने के आदी न हों, और किसी वजह से आधे शाबान के बाद रोज़े रखने शुरू कर दें, जबकि वह लोग जो हर माह अय्याम बैज़ (13,14,15) हर हफ़्ते पीर व जुमेरात या हर दूसरे दिन रोज़े रखने के आदी हों उन्हें आधे शाबान के बाद भी रोज़े रखने की मुमानिअत नहीं होगी। लिहाज़ा दोनों अहादीस में तआरुज़ ख़त्म हो गया। (फ़तहुल बारी शरह सहीह बुख़ारी 215/2)

# सिर्फ़ 15 वीं शाबान का रोज़ा

हमारे मआशरे में आम तोर पर अकेले 15 शाबान के रोज़े की बड़ी एहमियत समझी जाती है। बहुत से लोग बड़े एहतमाम से 15 शाबान का रोज़ा रखते हैं, इस सिलसिले में अर्ज़ है कि अकेले 15 शाबान के रोज़े की कोई एहमियत व फ़ज़ीलत किसी भी सहीह हदीस में मौजूद नहीं, इस अकेले रोज़े के बारे में जो रिवायत पेश की जाती है वह या तो हद दरजा ज़ईफ़ है या मौज़ूअ़ है। मुख़्तसर तफ़सील पेशे ख़िदमत है। सुनन इब्ने माजा में हज़रत अली رضي الله عنه से मरवी है ﴿اذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها الخ﴾ जब शाबान की 15 वीं रात आए तो उस रात को क़याम और उसके दिन में रोज़ा रखो।

[تخريج : سنن ابن ماجة،كتاب إقامة الصلاة،باب ماجاء في ليلة النصف من شعبان(١٣٧٨)،(قال الشيخ الألباني : ضعيف)]

इस हदीस में एक रावी अबु बकर बिन अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अबी सबरा है। यह ज़ईफ़ रावी है जिसने यह हदीस घड़ कर हज़रत अली बिन तालिब رضي الله عنه की तरफ़ मंसूब कर दी।

इमाम अहमद बिन हंबल رحمة الله عليه और इमाम इब्ने मुईन رحمة الله عليه ने इस रावी के बारे में फ़रमाया है कि वह रिवायात घड़ा करता था मन घड़त बातों को हदीस के नाम से बयान करता था। (तालीक़ मुहम्मद फ़व्वाद अब्दुल बाक़ी अली इब्ने माजा 444/1 तबअ़ बैरूत)

मुहद्दिस कबीर अल्लामा अब्दुल रहमान मुबारक पुरी

رحمة الله عليه फ़रमाते हैं: ( لَمْ أَجِدْ فِي صَوْمِ يَوْمَ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَدِيْثًا صَحِيْحًا مَرْفُوْعًا)

15 वीं शाबान के रोज़े के बारे में कोई एक भी सही सनद वाली और नबी करीम ﷺ तक पहुंचने वाली मरफ़ू हदीस नहीं मिली। (तोहफ़तुल अहवज़ी तिर्मिज़ी 443/3)

शैखुल इस्लाम अल्लामा इब्ने तैमिया رحمة الله عليه फ़रमाते हैं।

((مَايَوْمُ النِّصْفِ مُفْرَدًا فَلاَ أَصْلَ لَهُ بَلْ إِفْرَادُ مَكْرُوْهٌ))

यानी सिर्फ़ अकेले 15 शाबान का रोज़ा रखने की कोई असल नहीं बल्कि वह मुकरूह है (फ़िक्र व अक़ीदा की गुमराहियाँ और सिराते मुसतक़ीम के तक़ाज़े पेज 82, मतबूआ दारुल कुतुबुल इस्लामिया, दिल्ली)

15 शाबान के अकेले रोज़े के बारे में एक और हदीस हज़रत अली رضي الله عنه की तरफ़ मंसूब की जाती है जिसमें है:

﴿ فَإِنْ أَصْبَحَ فِيْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ صَائِمًا كَانَ كَصِيَامِ سِتِّيْنَ سَنَةً مَاضِيَةً وَّسِتِّيْنَ سَنَةً مُقْبِلَةً ﴾

"यानी जो आदमी इस दिन (15 शाबान) का रोज़ा रखेगा उसे साठ साल गुज़िशता और साठ साल आईंदा के रोज़ों का सवाब मिलेगा।"

यह रिवायत इमाम इब्नुल जौज़ी رحمة الله عليه ने अपनी किताब मौज़ुआत (जिल्द: 2, सफ़ह: 13) में बयान की है और इसके बारे में फ़रमाते हैं "موضوع واسناده مظلم" यह मौज़ूअ् और मनघड़त रिवायत है और इसकी सनद तारीक

व सियाह है। (तोहफ़तुल अहवज़ी शरह तिर्मिज़ी 444/3)

मज़्कूरा तफ़सील से मालूम हुआ कि 1 शाबान से 15 शाबान जितने भी रोज़े हस्बे इसतिताअत रखें दुरुस्त हैं, अकेले 15 शाबान के मख़सूस रोज़े की कोई असल नहीं।

## 15 वीं शाबान की रात, शबे बरात और शबे क़दर

शाबान की 15 वीं रात को आम मुसलमान और बाज़ ख़्वास शब क़दर समझते हैं और उसे शबे बरात तो कहा ही जाता है। 15 वीं शाबान को शब क़दर कहना और समझना सही है या ग़लत है इसको कुरआन करीम और अहादीस सहीहा की कसौटी पर परख कर देखा जाए। तफ़सील पेशे ख़िदमत है। अल्लाह तआला का इर्शाद है:

''حٰمٓ ۞ وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ ۞ اِنَّآ اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ۞ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ۞ (سورة الدخان آيت: 1۔ تا۔ 4)

तर्जुमा: ''हामीम'' क़सम है उस वज़ाहत वाली किताब की, यक़ीनन हमने उसे बाबर्कत रात में उतारा है बेशक हम डराने वाले हैं उसी रात में हर एक मज़बूत काम का फैसला किया जाता है।'' (सूरः दुख़ानः 1 से 4)

सूरः दुख़ान की आयातों से यह बातें मालूम होती हैं:

(1) कुरआने करीम, मुबारक रात में नाज़िल किया गया।
(2) साल भर में जो बड़े बड़े काम सर अंजाम पाते हैं उनका फैसला अल्लाह के हुक्म से कर दिया जाता है। यानी रात में आने वाले साल की बाबत हैं। (तफ़सीर इब्ने

कसीर)

**मुलाहिज़ा:** सूर: दुख़ान की मज़्कूरा आयात में जो लैलतुल मुबारका के अलफ़ाज़ आए हैं उनसे बाज़ लोगों ने पंद्रह शाबान की रात मुराद ली है जिसे शबे बरात या शबे क़दर के नामों से मशहूर कर दिया गया है। "لَيْلَةٌ مُّبَارَكَةٌ" से मुराद शाबान की 15 वीं रात है इसकी क्या हक़ीक़त है इसको जानने और समझने के लिए हम क़ुरआन करीम की तरफ़ रुजूअ़ करते हैं।

अल्लाह तआ़ला क़ुरआन करीम में इर्शाद फ़रमाता है:

﴿ اِنَّآ اَنْزَلْنَاهُ فِیْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَآ اَدْرٰکَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝ ﴾

तर्जुमा: यक़ीनन हमने उसे शब क़दर में नाज़िल किया तुम क्या समझे कि शब क़दर क्या है? शब क़दर हज़ार महीनों से बेहतर है।" (सूर: कदर: 1 से 3)

सूर: क़दर की मज़्कूरा आयात से मालूम होता है कि क़ुरआन करीम शब क़दर में नाज़िल किया गया। इस तरह यह एक रात के दो नाम बयान किए गए हैं। यानी जिस रात को लैलतुल मुबारका कहा गया है उसे दूसरे मुक़ाम पर लैलतुल मुबारका के नाम से ज़िक्र किया गया है।

अब यह मालूम करना है कि बर्कत और क़दर वाली रात किस महीने में आती है। क़ुरआने करीम में अल्लाह तआ़ला का इर्शाद है:

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰی وَالْفُرْقَانِ ﴾

"रमज़ान वह महीना है जिसमें कुरआन करीम नाज़िल किया गया जो तमाम लोगों के लिए हिदायत है और उसमें हिदायत और हक़ व बातिल में इमतियाज़ करने वाले वाज़ेह दलाइल हैं।" (सूरः बक़रह)

इस आयत पाक ने बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी कि वह रात जिसमें कुरआन करीम नाज़िल किया गया वह रमज़ानुल मुबारक की रात थी और उसी रात को अल्लाह तआ़ला ने अपनी किताब में लैलतुल क़दर और लैलतुल मुबारका के नामों से ज़िक्र किया।

मज़ीद वज़ाहत के लिए हम कुछ मुफ़स्सिरीन के अक़वाल भी नक़ल करते हैं मुलाहिज़ा फ़रमाऐं। मशहूर मुहद्दिस, मोर्रिख़ और मुफ़स्सिर इमाम इब्ने कसीर رحمۃ اللہ علیہ अपनी तफ़सीर इब्ने कसीर में सूरः दुख़ान की आयत नं. 3 की तफ़सीर में लिखते हैं:

﴿وَمَنْ قَالَ إِنَّهَا لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقَدْ أَبْعَدَ النَّجْعَةَ، فَإِنَّ نَصَّ الْقُرْآنِ أَنَّهَا فِيْ رَمَضَانَ﴾ (تفسیر ابن کثیر سورہ دخان)

जो शख़्स इस रात को पन्द्रहवीं शाबान की रात कहे उसकी बात हक़ीक़त से बहुत दूर है क्योंकि नस कुरआन से साबित है कि वह रात रमज़ानुल मुबारक में है।

अज़ीम मुहद्दिस व मुफ़स्सिर इमाम शौकानी رحمۃ اللہ علیہ अपनी तफ़सीर फ़तहुल क़दीर में लिखते हैं:

﴿اَللَّيْلَةُ الْمُبَارَكَةُ ،لَيْلَةُ الْقَدْرِ كَمَا فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى: ﴿اِنَّآ اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ وَلَهَا أَرْبَعَةُ اَسْمَاءٍ، اَللَّيْلَةُ الْمُبَارَكَةُ وَلَيْلَةُ الْبَرَاءَةِ وَلَيْلَةُ الصَّكِّ وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾ (تفسیر آیت: ۸۵/ سورۂ بقرہ وسورۂ قدر)

लैलतुल मुबारका से मुराद लैलतुल क़दर है, जैसा कि इर्शादे इलाही है: انا انزلناه فى ليلة القدر में मज़कूर है और उसके चार नाम हैं लैलतुल मुबारका, लैलतुल बरात, लैलतुल सक (यानी इक़रार नामा की रात) और लैलतुल क़दर।

इमाम शौकानी رحمۃ اللہ علیہ के मज़कूरा क़ौल से वाज़ेह होता है कि शबे क़दर, शब मुबारक, शबे बरात, और शब सक, यह चारों नाम एक ही रात के हैं जिसमें कुरआन करीम नाज़िल हुआ, और वह रात कुरआन करीम के मुताबिक़ रमज़ान में होती है।

मुफ़स्सिर कुरआन इमाम फ़ख़रुद्दीन राज़ी رحمۃ اللہ علیہ अपनी मारूफ़ किताब तफ़सीर कबीर (जिल्द/स: 4010) में लिखते हैं:

(( اَلْقَائِلُوْنَ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ اللَّيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ الْمَذْكُوْرَةِ فِيْ هٰذِهِ الْآيَةِ هِيَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَمَارَأَيْتُ لَهُمْ دَلِيْلاً يَعُوْلُ عَلَيْهِ ))

जो लोग कहते हैं कि (सूर: दुख़ान) की इस मज़कूरा आयत में लैलतुल मुबारका से मुराद शाबान की पन्द्रहवीं रात है, उनके पास कोई क़ाबिले एतमाद दलील नहीं है।

इसी तरह दीगर मुफ़स्सिरीन मसलन अबु बकर इब्नुल अरबी ने एहकामुल कुरआन में, मारूफ़ हनफ़ी मुहद्दिस मुल्ला अली क़ारी ने शरह मिशकात मिश्कातुल मफ़ातिह (जिल्द/स: 352) में लैलतुल मुबारका से मुराद लैलतुल क़दर को तसलीम किया है।

(( أَنَّ اللَّيْلَةَ الَّتِيْ يُفْرَقُ فِيْهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ فِي الْآيَةِ هِيَ لَيْلَةُ

الْقَدْرِ، لاَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ))

इस तफ़्सील से मालूम होता है कि शाबान की पन्द्रहवीं रात को शब क़दर कहना दुरुस्त नहीं है बल्कि यह कुरआन करीम की वाज़ेह आयत के भी ख़िलाफ़ है और हक़ीक़त यह है कि वह मुबारक और क़दर वाली रात रमज़ान में होती है और वही रात शब बरात है, और बुख़ारी व मुस्लिम की अहादीस के मुताबिक़ शब क़दर रमज़ान के आख़री अशरा की पाँच ताक़ रातों में से एक रात में होती है।

## शाबान की पन्द्रहवी रात

शाबान की पंद्रहवी शब जो शबे बरात या शब क़द्र के नामों से मशहूर कर दी गई है जिसमें मंदरजा ज़ैल उमूर अंजाम दिए जाते हैं:

(1) इस रात को शब बेदारी, ख़ास अदद या ख़ास सूरतों की तिलावत के इलतिज़ाम के साथ नवाफ़िल की अदायगी।

(2) शाबान की पन्द्रहवीं शब को तेहवार समझना और इसी ख़्याल से घरों की खुसूसी सफ़ाई करना उमदा और नए कपड़े पहनना और मख़सूस खाने या हलवा वग़ैरा बनाने का एहतमाम करना।

(3) इस रात में क़ब्रस्तान जाना।

(4) इस रात में फ़ोत शुदा (मुर्दा) लोगों की रूहों का घर में आने का अक़ीदा रखना और आतिश बाज़ी व चिराग़ाँ वग़ैरा करना।

मज़कूरा उमूर का जाइज़ा कुरआन व हदीस की

रोशनी में पेश ख़िदमत है।

(1) शाबान की पन्द्रहवी रात की फ़ज़ीलत व एहमियत के बारे में कुतुब अहादीस में तक़रीबन तेरह चौदह रिवायात मिलती हैं उनमें एक भी रिवायत की सनद सहीह नहीं है। मुंक़ता, मुरसल, सख़्त ज़ईफ़ और मोज़ू यानी घड़ी हुई रिवायात हैं। इन रिवायात में से किसी भी रिवायत में इस रात को ''शब बरात'' के नाम से ज़िक्र नहीं किया गया है इन रिवायात में इस रात का जिन अलफ़ाज़ में ज़िक्र हुआ है वह '' لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ '' यानी शाबान की पन्द्रहवीं रात हैं इन रिवायात में शब बेदारी और मख़सूस नफ़ली नमाज़ों का कोई ज़िक्र नहीं एक रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ि. से मसनद अहमद में मरवी है दूसरी रिवायत हज़रत मआ़ज़ बिन जबल रज़ि. की इब्ने हब्बान में है यह दोनों रिवायात ज़ईफ़ हैं इन दोनों रिवायतों में यह है कि अल्लाह तआ़ला पन्द्रहवीं शाबान की रात में अपनी मख़लूक़ की तरफ़ देखता है और मुशरिक, कीना परवर और क़ातिल के सिवा सब को बख़्श देता है।

अब अगर कोई शख़्स शिरकिया अक़ाइद व आमाल, कीना परवरी और क़त्ल व ग़ारतगिरी जैसे बुरे आमाल में मशग़ूल है और वह पन्द्रहवीं शाबान की पूरी रात जाग कर गुज़ारता है तो उसे कोई फ़ायदा ना होगा। इसके ख़िलाफ़ वह शख़्स जो क़त्ल व ग़ारतगिरी, कीना परवरी और शिर्किया अक़ाइद से दूर रहे वह ईशा की नमाज़ जमाअत के साथ पढ़ कर सो जाए और सुबह को नमाज़ फ़ज्र जमाअत के साथ अदा करे तो इसे मज़कूरह बख़्शिश हासिल हो जाएगी। इंशाअल्लाह तआ़ला।

ख़ुलासा यह कि पन्द्रह शाबान की रात की फ़ज़ीलत के बारे में कुछ भी सहीह तोर पर साबित नहीं है। चंद उलमा मुहक़्क़ीन के अक़वाल मुलाहिज़ा फ़रमाऐं।

इमाम अक़ीली फ़रमाते हैं:

"निस्फ़ शाबान की रात में अल्लाह तआ़ला के नुज़ूल के बारे में जितनी रिवायात हैं सब ज़ईफ़ हैं (अल् ज़ोअ्फ़ा 29/3) और यही बात हाफ़िज़ अबुल ख़त्ताब इब्ने दहिया ने कही है। अलबत्ता उमूमी तोर पर हर रात के आख़िर हिस्से में (अलबाईस अलीउनकार अलबदअ़ वल हवादिस स. 52) आसमान दुनिया पर नुज़ूल बारी तआ़ला के मुतअल्लिक़ सहीह अहादीस मौजूद हैं। पन्द्रह शाबान की तख़सीस के साथ नहीं।

अलबिअ़ वल् नही अन्हा में लिखा है कि मैंने मशाईख़ और फ़ुक़हा में से किसी को भी निस्फ़ शाबान की रात की तरफ़ तवज्जो करते हुए नहीं देखा।

शैख़ अबु बकर इब्नुल अरबी लिखते हैं।

وليس فى ليلة النصف من شعبان حديثا يعول عليه لا فى فضلها ولا فى نسخ الآجال فيها فلا تلتفتوا اليها. (احكام القرآن ۴/۱۶۹۰)

पन्द्रह शाबान की रात की फ़ज़ीलत के बारे में कोई हदीस क़ाबिले एतबार नहीं है और इस रात को मौत के फ़ैसले की मंसूख़ी के बारे में भी कोई हदीस क़ाबिले एतमाद नहीं है। पस आप इन अहादीस की तरफ तवज्जो न करें। (अत्तकामुल क़ुरआन: 4/1690)

हाफ़िज़ इब्नुल क़य्यिम रह० फ़रमाते हैं।

لايصح منها شيئٌ (المنار المنيف ص: ٩٨، ٩٩)

यानी पन्द्रह शाबान की रात को ख़ास नमाज़ वाली रिवायतों में से कोई चीज़ भी साबित नहीं। (अलमनारुल मुनीफ़ सं. 98, 99)

मुहद्दिस-ए-अस्र अल्लामा हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ई साहब पन्द्रह शाबान की फ़ज़ीलत में वारिद तमाम रिवायात की सनदों पर बहस के बाद लिखते हैं।

''पन्द्रहवीं शाबान को ख़ास क़िस्म की नमाज़ मसलन सौ (100) रकअ़तें मअ़ (1000) मर्तबा सूरः इख़्लास किसी ज़ईफ़ रिवायत में भी नहीं है, इस क़िस्म की तमाम रिवायात मोज़ूअ् और जाली हैं। (माहनामा अलहदीस शुमारा नं. 5, सफ़्हा 15)

(2) शाबान की पन्द्रहवीं रात को त्यौहार समझने का अक़ीदा व ख़्याल भी दुरुस्त नहीं है क्योंकि इस ख़्याल की ताईद क़ुरआन करीम और नबी करीम ﷺ की हदीस से नहीं होती। सहाबा किराम رضي الله عنهم ताबेईन, मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा-ए-इस्लाम رحمة الله عليهم के अक़वाल व फ़तावा में भी इस अक़ीदा व ख़्याल के लिए कोई जगह नहीं, इसलिए यह ख़्याल ग़ैर इस्लामी होने की वजह से ग़लत है।

घरों में सफ़ाई, साफ़ सुथरे या नए कपड़े पहनना यह सब आम मामूलाते ज़िन्दगी हैं जिनमें कोई बुराई या क़बाहत नहीं बल्कि अच्छा और पसंदीदा अमल है और जुमा व ईदेन वग़ैरा में इन कामों का ख़ास तोर पर हुक्म है। मगर शाबान की पन्द्रहवीं रात के लिए घरों की ख़ास तौर पर सफ़ाई और सजावट करना वग़ैरा की किताब व

सुन्नत और आसार व सहाबा में कोई दलील नहीं, इसी तरह इस रात में हलवा वग़ैरा का एहतमाम भी बिदआत में से है।

(3) शाबान की पन्द्रहवीं रात को क़ब्रिस्तान जाने का भी आम रिवाज हमारे मआशरे में है। इस्लामी शरीअ़त में किसी भी दिन किसी भी महीने और किसी भी वक़्त क़ब्रिस्तान जाना और एहले क़ुबूर के लिए दुआए मग़फ़िरत करना जाइज़ दुरुस्त है लेकिन किसी दिन, किसी रात, किसी महीने और किसी वक़्त को मख़सूस कर लेना ग़ैर शरई फ़ेल है। पन्द्रहवीं शाबान की रात में क़ब्रिस्तान जाने का एहतमाम करना किसी भी सहीह हदीस से साबित नहीं है। तिर्मिज़ी के हवाले से उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा رضی اللہ عنہا की जो रिवायत अक्सर वाईज़ीन झूम झूम कर सुनाते हैं उसे तिर्मिज़ी رحمۃ اللہ علیہ ने ही इमाम बुख़ारी رحمۃ اللہ علیہ के हवाले से ज़ईफ़ क़रार दिया है।

इस ज़ईफ़ रिवायत से भी साबित नहीं होता है कि अफ़रादे उम्मत पन्द्रहवीं शाबान की रात को क़ब्रिस्तान जाऐं क्योंकि किसी एक सहाबी رضی اللہ عنہ का इस रात में क़ब्रिस्तान जाना, शब बेदारी करना वग़ैरा साबित नहीं। रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم का निहायत ख़ामोशी से इस अंदाज़ में घर से निकलना कि सोए हुए घर वाले बेदार न हो जाऐं इस बात का वाज़ेह सुबूत है कि यह रात क़ब्रिस्तान जाने और जागने के लिए मख़सूस नहीं है।

मुसलमानो! ग़ौर करो सहाबा किराम رضی اللہ عنہم और नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم इस रात में आराम करें कोई एक भी क़ब्रिस्तान न जाए और आप लोग ग्रुप के ग्रुप क़ब्रिस्तान के

चक्कर लगाऐं। क्या आप लोग दीन पर अमल करने और नेकियाँ हासिल करने में नबी ﷺ और सहाबा किराम رضی اللہ عنہم से भी आगे बढ़ गए? अल्लाह तआ़ला कुरआन करीम में इर्शाद फ़रमाता है:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (سورۂ حجرات آیت: ۱)

"ऐ ईमान वाले लोगों! अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल ﷺ से आगे न बढ़ो, और अल्लाह तआ़ला से डरते रहा करो, यक़ीनन अल्लाह तआ़ला सुनने वाला और जानने वाला है।" (सूर: हुजरात:1)

(5) 15 शाबान की रात में फ़ौत शुदा (मुर्दा) लोगों की रूहों के आने का अक़ीदा रखना भी निहायत ग़लत बात है क्योंकि अल्लाह तआ़ला ने कुरआन मजीद में फ़रमाया है:

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ۝ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝﴾ (سورة المومنون: ۹۹ ـ ۱۰۰)

"यहाँ तक कि जब उन में से किसी को मौत आने लगती है तो कहता है ऐ मेरे परवरदिगार! मुझे वापिस लौटा दे कि अपनी छोड़ी हुई दुनिया में जाकर नेक आमाल कर लूँ, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, यह सिर्फ़ एक क़ौल है जिसका यह क़ाइल है, इनके पसे पुश्त तो एक हिजाब है, इनके दोबारा ज़िंदा किए जाने के दिन तक।" (सूर: मोमिनून : 99-100)

मज़कूरा आयत से मालूम हुआ कि मरने के बाद क़यामत तक बरज़ख़ में रहना है, बरज़ख़ दो चीज़ों के दर्मियान

हिजाब और आड को कहते हैं। दुनिया की ज़िन्दगी और मौत के बाद जो वक़्फ़ा है उसे यहाँ बरज़ख़ से ताबीर किया गया है। इस मज़मून की कुरआन करीम में तक़रीबन (10-9) आयात हैं जिनसे वाज़ेह होता है कि रूहें क़यामत के दिन ही लोटाई जाऐंगी इससे पहले किसी दिन या रात में किसी की रूह नहीं आएगी।

इसी तरह इस मोक़े पर आतिशबाज़ी और मस्जिदों और घरों और क़ब्रस्तान वग़ैरा को सजाना डेकोरेशन करना वग़ैरा सब फ़िज़ूल ख़र्ची में दाख़िल हैं और हम जानते हैं कि फ़िज़ूल ख़र्ची करने वालों को कुरआन करीम ने शेतान का भाई क़रार दिया है। (सूरः बनी इस्राईल 27-26)

रहा आतिश बाज़ी का मसला तो इसके हराम व नाजाइज़ होने में किसी को कोई इख़तिलाफ़ नहीं इससे जान व माल दोनों का नुक़सान है इससे बचना और दूर रहने की तलक़ीन करना हर एक की दीनी व अख़लाक़ी ज़िम्मेदारी है।

हासिल कलाम यह है कि शाबान की पन्द्रहवीं शब को किसी ख़ास तरीक़ा से मनाने का सुबूत न तो कुरआन करीम में है और न ही किसी सहीह हदीस में है, और यह भी मालूम होता है कि यह रात न तो शब मुबारक और न शबे बरात न इसमें कोई ख़ास नमाज़ है न कोई ख़ास ज़िक्र व दुआ।

अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारी दुआ है कि रब्बुल आलमीन मुसलमानों को बिदआत व ख़ुराफ़ात से बचा कर अपने नबी मुहम्मद अकरम ﷺ की सुन्नते मुतहरा पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। (आमीन)

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَسَلَّمَ